

आज दिनांक 29-9-2020 को जिला व
 अंचल स्तर के अंतर्गत अनाथित
 मौजा - थरसमपुर (घाट सं-26), मौजा -
 अहिष्मठ (घाट सं-27 एवं 28),
 मौजा - सोनवर्षी (घाट सं-29, 30, 31, 32,
 33 एवं 34) तथा मौजा - कौरियम (घाट
 सं-35 एवं 36) के कालु घाटों पर
 उत्खनन हेतु नष्ट प्रस्वानों की पर्यावरणीय
 स्वीकृति के पूर्व लोक सुनवाई का कार्यक्रम
 राउन डॉल अंचल में वने आयोजित
 होगा तथा इस लोक-सुनवाई कार्यक्रम में
 निम्नलिखित पदाधिकारी एवं शायी उपस्थित होंगे-

1. श्री ज्योति कुमार
 अपर सहायक, अंचल
2. श्री एस.जी. शय,
 पर्यावरण असायता,
 वि० रा० प्र० वि० पर्यट, पर्या
3. श्री गौरांग कृष्ण
 खान निरीक्षक,
 जिला अंचल कार्यालय, अंचल
4. सुभाष शास्त्र
 पर्यावरण सलाहकार
5. रविशंजन कुमार
 पर्यावरणीय सलाहकार
- 6.

by
 29-9-2020

29/09/2020

29/9/2020

Raw
 29/9/2020



स्वीकृत लागू हो सका है हेतु अन्वेष
 भी किया गया स्वीकृत होने के लिए
 अन्य के लिए कोई भी स्वीकृत
 आवश्यक प्राप्त नहीं हुए हैं।

इसके उपरान्त पर्यावरण सलाहकार
 द्वारा EIA Report का Executive
 Summary तैयार किया गया।

इसके उपरान्त समसमाहती द्वारा
 समा में उपरोक्त लोगों इस पर्यावरण
 स्वीकृत हेतु लोकल लेवेल के संबंध में
 सुझाव / आपत्ति दर्ज करने का अन्वेष
 किया गया।

श्री सुरज कुमार, मिना-ब्रह्म माइव
 सांनवर्षी द्वारा सुझाव दिया गया कि
 खनन स्थल पर मजदूरों का शुद्ध पेय
 जल की व्यवस्था किया जाए। स्थल पर
 नाला उपचार की व्यवस्था (हॉल-चारिण)
 पेंड पॉयंटों की लगाना चारिण।

श्री कामेश्वर सिंह, सांनवर्षी द्वारा धारा
 पर विजली एवं धाबी की व्यवस्था सुनिश्चित
 करने का सुझाव दिया गया।

श्री राजन कुमार, शीलेश्वर द्वारा धारों पर
 बालू के ढाँके के पुनर्स्थापन कार्य शुरू
 के निमित्त व्यवस्था होनी चारिण।

समसमाहती ने यह बात समा
 में खनन पराधिकारी एवं प्रदूषण नियंत्रण
 के पक्ष के पराधिकारी के समक्ष रखा
 कि संबंधित मॉडल का प्रतिनिधित्व नगण्य

ई। इन्हें फिर मोजा एवं गार्डन में प्रमत्त कर जायजा सिमा कर सक्ता है।

ठानेवादी समाप्त की घोषणा किया गया

19-09-2020	19-09-2020	
(गौराजी उषा)	एल-सी-राज	(अर्थात् उषा)
खान निरीक्षक	परमविण कर्मिका	समाप्त
खान विभाग	मुंबई का पत्र	मालम